

an>

Title: Need to provide Scheduled Caste Certificate to all the eligible persons belonging to Bengali community living in Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर (महाराष्ट्र) लगभग 720 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है जो संभवतः देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग एक लाख से अधिक बंगाली समाज वर्ष 1962 अर्थात् विगत 52 वर्षों से पुनर्वास के तौर पर रह रहे हैं। सरकार ने बंगाली समाज को भूमि, मकान और आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं लेकिन उनको जाति के प्रमाण-पत्र की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

मेरे नक्सल प्रभावित सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब बंगाली समाज को जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से सरकार की दूसरी अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ उठाने से यह समाज वंचित है।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल, कोलकाता, असम, ओड़िसा और निकट के राज्य छत्तीसगढ़ में " नमो शूद्र " यानि अनुसूचित जाति के रूप में जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में बंगाली समाज को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पायी है।

इस बारे में बंगाली समाज संगठन की ओर से कई बार शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से आंदोलन, धरना-प्रदर्शन एवं अनशन आयोजित किए जा चुके हैं और वे अपनी मांग के बारे में सरकार को पत्र-व्यवहार भी कर चुके हैं। उनकी मांग के बारे में जन-प्रतिनिधियों ने भी महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है तथा केन्द्र सरकार से भी कई बार पत्र-व्यवहार हुआ है लेकिन, फिर भी आज तक बंगाली समाज को जाति का प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका है जिस कारण बंगाली समाज में घोर असंतोष फैला हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय की ओर ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करके बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिलाए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। यह मेरी प्रार्थना है।